संख्या- 1854 /33-2-2022-5913/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2022

विषय :- निराश्रित गोवंश/दुर्घटनाग्रस्त बड़े पशुओं को परिवहन हेतु कैटल कैचर/मल्टी परपज वेहीकल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा- 32 एवं 33 में क्रमशः क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अधिकार एवं कर्तव्य क्रमशः अनुसूची-1 व 2 में वर्णित है। उक्त अनुसूची-1 के बिन्दु सं0-4 में पशु सेवाओं के अनुरक्षण तथा अनुसूची-2 (क) के बिन्दु सं0-4 (क) में पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण इत्यादि की व्यवस्था विद्यमान है। उक्त के अतिरिक्त पंचायतीराज अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दिनांक 18 अगस्त, 2020 के प्रस्तर-7 में यह व्यवस्था है कि "पंचायतें अपने स्वामित्व वाले गो-आश्रय स्थलों के विकास व संचालन हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से करेंगी।" इस प्रकार गौ आश्रय स्थलों के विकास व संचालन मद में कैटिल कैचर वाहन का क्रय/ संचालन अनुमन्य श्रेणी का कार्य है।

3. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी अपने जनपद की आवश्यकतानुसार कैटिल कैचर/मल्टीपरपज वेहिकल वाहन का क्रय कर सकते हैं अथवा किराये पर रख सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त इस पूरे कार्य को भी आउट्सोर्स प्रति पशु के दर पर करते हुए संचालित किया जा सकता है । जिला पंचायत/ क्षेत्र पंचायत इस पर आने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग/ स्वयं की आय से वहन किया जा सकता है ।

भवदीय,

Manoj
3.8.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

PTO-2

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. अपर मुख्य अधिकारी, समस्त जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 चन्द्रकला)
विशेष सचिव।